

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क)]

(राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान)

मैं जो विधान सभा (*या विधान परिषद) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।"

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 200.. के माह के..... दिवस को (स्थान) में ईश्वर की शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर

शपथ की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को सौंपा जाना)

प्रमाणित किया जाता है कि..... (नाम), जो कि विधान सभा (या विधान परिषद) के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, ने तारीख को बजे (समय) मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथापेक्षित शपथ ली है/प्रतिज्ञान किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहर

तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दें, ध्यान दें: इस प्ररूप को अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में तथा राज्य की राजभाषा, दोनों में प्रदान किया जाना चाहिए।